प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 13.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।

प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 13.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, मेलों एवं गांव में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओ मुख्यमंत्री सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैकिंग कॉरस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध मे विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी देते हुए इनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तत्काल थाना स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 13.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 13.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंको की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूंछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हे अनावश्यक रुप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 13.06.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

संशोधित नये कानून (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नगरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस पदाधिकारियों को लगातार दिया जा रहा प्रशिक्षण।

01 जुलाई 2024 से देश में लागू होने जा रहे तीन नए क्रिमिनल लॉ यानी इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे।

जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर इन सभी नये कानूनों की धाराओं से संबंधित मामलों को लेकर विशेषज्ञों द्वारा लगातार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि न्यायपालिका में अभी तक "भारतीय दंड संहिता" के आधार पर न्यायिक कार्यो का निपटारा किया जाता था, जिसे पुलिस प्रशासन आईपीसी की धारा के रूप में प्राथमिकी में मामलों को लिखित दर्ज करती थी, लेकिन अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) बदलकर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) बना दी गई है. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में कई आपराधिक मामलों सहित अन्य गंभीर अपराध मामलों में विभिन्न नई धाराओं को बीएनएस में संलग्न किया गया है, बीएनएस की नई धाराओं के तहत न्याय प्रणाली को ज्यादा सुसंगत और कारगर बनाया गया है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 13.06.2024
महोबा पुलिस
मीडिया सेल, महोबा
उत्तर प्रदेश पुलिस

थाना खरेला की पुलिस टीम ने दहेज अधिनियम से सम्बन्धित
03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी मय हमराह कर्मचारीगण के द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 61/2024 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. सौरभ सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र 26 वर्ष 2.ज्ञान सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र 55 वर्ष 3.उर्मिला देवी पत्नी ज्ञान सिंह उम्र 52 वर्ष निवासीगण ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा को परथनिया बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस पुल के नीचे ग्राम परथनिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र 26 वर्ष
2. ज्ञान सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र 55 वर्ष
3. उर्मिला देवी पत्नी ज्ञान सिंह उम्र 52 वर्ष

निवासीगण ग्राम बारी थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अजीतनारायण त्रिपाठी
2. का0 जितेन्द्र कुमार गौतम
3. का0 महेश प्रसाद
4. म0का0 पुष्पा वर्मा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने

एक नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.06.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री रविकान्त गौड, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 श्री मतगंजन मिश्रा मय हमराह द्वारा 01 नफर वारंटी अभि0 धर्मेन्द्र पुत्र आशाराम उम्र करीब 43 वर्ष निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित परिवाद सं0 69/23 धारा 452/354/506 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय ए.एस.जे. स्पेशल पाक्सो एक्ट महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. धर्मेन्द्र पुत्र आशाराम निवासी ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 43 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ.नि. मतगंजन मिश्रा

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत "परिवार परामर्श केन्द्र" कमेटी के सदस्यों ने पारिवारिक मनमुटाव को दूर कर 01 परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां-

आज दिनांक 13.06.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में "परिवार परामर्श केन्द्र" कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी महिला थाना सुषमा चौधरी की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें द्वारा पति-पत्नी के 05 जोड़े जिनके बीच चल रहे पारस्परिक परिवारिक विवाद से संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं की काउंसिलिंग/परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी के 01 जोडें आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हो गए। जनपद महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

परिवार परामर्श के दौरान म0का0 प्रगति सिंह, म0का0 आरती, काउंसलर श्रीमती नेहा चंसौरिया, श्रीमती नीतू पालीवाल, डॉ विभा पुरवार, श्री शिवकुमार गोस्वामी, श्री रामजी गुप्ता आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही ।